

द्वारा फ़ैक्स/ईमेल

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स, उ०प्र०
सिग्नेचर बिल्डिंग, पंचम तल, टावर-1, गोमतीनगर, विस्तार, लखनऊ 226010

पत्र संख्या:-लॉजि०-एमटी- 6/2019

दिनांक:-दिसम्बर , 30 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्तों को अस्वीकार करत हुये ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड द्वारा निम्न मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन को उपनिरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के अनुमोदनोपरान्त इन्हें तात्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही आदेश की तिथि से उप निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

क० सं०	पी०एन०ओ०	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जनपद/इकाई	परिक्षेत्र/अनुभाग	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1	862370121	पंकज सिंह	सच्चिदानन्द सिंह	26वीं गोरखपुर	अयोध्या अनुभाग	2018
2	832460544	मायाराम यादव	छेदू राम	अयोध्या	अयोध्या	2018
3	911240016	भगवान सिंह चाहर	समुद्र सिंह चाहर	गाजियाबाद	मेरठ	2018
4	842810209	प्रेमबहादुर सिंह	सरवन सिंह	कानपुर देहात	कानपुर	2018
5	940730193	भगवान सिंह	छोटेला	बाँदा	बाँदा	2018


2- पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई के मुख्यालय पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2015 के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलता पूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये उपनिरीक्षक मोटर परिवहन की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से आदेश पारित किये जायेंगे।

3- पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन से संलग्न पारूप-"क" में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या-13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28.05.97 के खण्ड -2 में दी 03 परिस्थितियां यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि अपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है, मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन उपरोक्त के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।

4- यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उपयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं तो उपरोक्त मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन को उपनिरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियां विद्यमान पायी जाती है तो ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5- यदि संबंधित उपनिरीक्षक मोटर परिवहन द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में उनके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मों को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाये।

6- आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर लॉजिस्टिक्स इकाई के सरकुलर में अपलोड कर दिया गया है।


(विजय कुमार मौर्य)

अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, उत्तर प्रदेश।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर
4. अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, लखनऊ/मेरठ/कानपुर/इलाहाबाद।
5. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, अयोध्या/मेरठ/कानपुर/चित्रकूट।
6. पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अयोध्या अनुभाग।
7. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक जनपद-अयोध्या/मेरठ/कानपुर/बौदा।
8. सेनानायक, 26 वी वाहिनी पीएसी गोरखपुर।

स्व-घोषणा-पत्र

में _____ (नाम/पदनाम व पीएनओ) पुत्र _____
निवासी _____ थाना _____ जनपद _____ वर्तमान _____ में
(जनपद / इकाई का नाम) _____ नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

(क) "मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।"

(ख) रिट याचिका संख्या:1645 / 2015 अरविन्द कुमार व 70 अन्य, 4626 / 2015 संतोष कुमार वैश्य व 18 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा समान प्रकृति की अन्य रिट याचिकाओं में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अनुपालन में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिय जायेगा, वह मुझे स्वीकार होगा।

2- उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

3- यह घोषणा- पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित उपनिरीक्षक के विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली -1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण _____
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद /इकाई _____ में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक _____ को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0 _____ धारा _____ थाना _____ जनपद _____ में लम्बित है, जिसमें दिनांक _____ को स्थानीय पुलिस अथवा जाँच एजेन्सी _____ द्वारा आरोप-पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में _____ स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर

(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)

नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/ पदनाम की मुहर

नोट:- स्वघोषणा- पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उपप्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।